प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक– 15.06.2024

- लघु खनिजों के अवैध खनन एवं परिवहन संबंधी आमजनों से प्राप्त आसूचना के आधार पर सफलतापूर्वक कार्रवाई किये जाने पर पुरस्कार (Reward) का प्रावधान किये जाने हेतु योजना की स्वीकृति विभाग द्वारा की गई है।

  प्राप्त आसूचना के आलोक में छापेमारी सफल होने पर ट्रैक्टर के लिए 5,000/– रूपये तक तथा ट्रक एवं अन्य बड़े वाहनों के लिए 10,000/– रूपये तक संबंधित जिला समाहर्त्ता के अनुमोदन से आसूचनादाता को पुरस्कार (Reward) के रूप में दिया जायेगा।

  इसी प्रकार छापेमारी दल के लिए भी सफल कार्रवाई पर प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार ट्रैक्टर के लिए 2000/– रूपये तथा ट्रक एवं अन्य बड़े वाहनों के लिए 4000/– रूपये तक होगी। उक्त राशि जिला समाहर्त्ता के अनुमोदनोपरान्त छापेमारी दल में शामिल सभी कर्मियों के बीच बराबर–बराबर विभाजित करके दी जाएगी।

- मुंगेर जिले में दिनांक– 09.06.2024 को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर कुल– 46 वाहनों को पकड़ा गया, जिसमें से 40 वाहन बिना ई–चालान के पाये गए एवं 06 वाहन ई–चालान के साथ, परन्तु ओवरलोड पाये गए।

  उक्त जप्त वाहनों पर लगभग एक करोड़ बयालिस लाख रूपये का शमन शुल्क अधिरोपित किया गया है एवं साफिया सराय एवं हेमजापुर थानें में कुल 46 प्राथमिकियाँ दर्ज की गई है। जिन बालूघाटों से 06 ओवरलोड वाहनों के ई–चालान निर्गत हुए, उन बालूघाटों पर भी कार्रवाई हेतु संबंधित समाहर्त्ता को निदेश दिये गए हैं। मामलें की विस्तृत जाँच हेतु आर्थिक अपराध इकाई से अनुरोध किया गया है।

- पटना जिलान्तर्गत लघु खनिजों के अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु प्राप्त सूचना के आधार पर छापेमारी के क्रम में संयुक्त दल द्वारा दिनांक– 11.06.2024 को पटना जिलान्तर्गत बिहटा थाना क्षेत्र में अवैध परिवहन एवं ओवरलोडिंग में संलिप्त कुल– 05 वाहनों को जप्त किया गया है।
- भोजपुर जिलान्तर्गत प्राप्त आसूचना के आधार पर छापेमारी के क्रम में दिनांक– 05.06.2024 को 44 वाहनों पर कार्रवाई की गई है। उक्त कार्रवाई में लगभग 01 करोड़ रूपये का शमन शुल्क अधिरोपित किया गया है एवं बड़हरा थाना एवं कोइलवर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
- लखीसराय जिलान्तर्गत बालूघाटों का निरीक्षण दिनांक– 12.06.2024 को किया गया एवं स्थलीय निरीक्षण के क्रम में पायी गई अनियमितताओं के आलोक में बालूघाट के बंदोबस्तधारी से स्पष्टीकरण पूछते हुए नियमानुसार दण्ड अधिरोपित करने का निदेश समाहर्त्ता, मुंगेर एवं समाहर्त्ता, लखीसराय को दिया गया है। इस मामले में खनिज विकास पदाधिकारी, लखीसराय अतिरिक्त प्रभार मुंगेर की भूमिका संदिग्ध पाते हुए उन्हें निलंबित कर स्पष्टीकरण पूछा गया है।
- नवबंदोबस्त बालूघाटों हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने एवं उसके उपरान्त संचालन हेतु दिनांक– 11.06.2024 को उत्तर बिहार के जिलों एवं दिनांक– 13.06.2024 को दक्षिणी बिहार के जिलों के साथ बैठक की गई। दिनांक– 13.06.2024 तक पूरे राज्य में कुल– 179 बालूघाटों को पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत हो चुकी है, जिनमें से 164 बालूघाटों के संचालन हेतु CTO प्राप्त है एवं 150 बालूघाटों का सफलतापूर्वक संचालन प्रारंभ किया जा चुका है। वैध रूप से संचालित 150 बालूघाटों से आम जनता एवं विकास कार्यों हेतु सुगमतापूर्वक बालू की उपलब्धता सुनिश्चित होने के साथ–साथ अवैध खनन पर अंकुश लगाना संभव हो सकेगा।